लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
ई–मेल – **jdfbudget@gmail.com**

क्रमांक/बजट/ए/20/2019–20/275 भोपाल,दिनांकः– 26-9-19

प्रति,

1– समस्त, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।
2– समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3– विधि प्रकोष्ठ, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर म.प्र.।
4– योग विभागाध्यक्ष, भोपाल म.प्र.।
5– जीवाजी वैधशाला, उज्जैन म.प्र.।
6– शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविधालय शिवपुरी म.प्र.।

विषयः– वित्त वर्ष 2019–20 के व्यय मिलान एवं समाधान कार्य महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. के आंकडों/लेखे से मिलान करने बाबत्।

संदर्भः– महालेखाकार का पत्र क्र./टी.सी.–21/डी–100 दिनांक 13.08.2019

——00——

उपरोक्त विषय में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के व्यय के आकड़ों की समीक्षा हेतु लोक शिक्षण संचालनालय से दल महालेखाकार ग्वालियर कार्यालय भेजा गया था। अंक मिलान कार्य की समीक्षा में पाया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारीयों द्वारा अंक मिलान कार्य में अत्यन्त उदासीनता प्रदर्शित की गई है। इस कार्यालय द्वारा बार–बार निर्देशित किया जाने के उपरांत भी कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अंक मिलान का कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रारंभ से वर्ष समाप्ति तक भी पूर्ण नहीं किया गया है। यह स्थिति शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता का घोतक है।

2. वित्तिय वर्ष 2019–20 के आय व्यय का मिलान महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर के संदर्भित पत्रानुसार के निम्नानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। गतवर्ष की भांती इस वर्ष अंत मिलान कार्य में कोई उदासीनता आपके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण संवितरण द्वारा ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा अपने स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन कर संचालनालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगें। सभी आहरण संवितरण अधिकारीयों को विभागीय प्राप्ति एवं व्यय के शत् प्रतिशत पुर्नमिलान का लक्ष्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अंक मिलान समय नवीन सारणी निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	त्रैमासिक अवधि	समाधान हेतु निश्चित अवधि
1	अप्रैल, मई, जून	27 जुलाई 2019 के बाद
2	जुलाई, अगस्त, सितम्बर	27 अक्टूबर 2019 के बार
3	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	27 जनवरी 2020 के बार
4	जनवरी,	27 फरवरी 2020 के बार
5	फरवरी	27 मार्च 2020 के बार
6	मार्च	15 मई से 31 मई 2020 तक

3. जिस कार्यालय द्वारा उक्त समय सारणी अनुसार अंक मिलान की कार्यावाही पूर्ण नहीं की जायेगी उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार शासकीय कार्य में उदासीनता मानते हुए अनुशासनात्क कार्यवाही की जावेगी, एवं गोपनीय प्रतिवेदन में भी तद्संबधी टीप अंकित की जावेगी।

वित्तिय वर्ष 2018–19 में भी कई आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा समय सीमा में अंक मिलान का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, एवं आज पर्यन्त तक प्रतिवेदन भी नही भेजा गया है इसे अधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/बजट/ए/20/2019–20/276 भोपाल दिनांक:– 26-9-19

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं व्ही.एल.सी.) मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. उप संचालक (लेखा) लोक शिक्षण संचालनालय।
4. श्री राजीव शर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, संयुक्त संचालक कार्यालय, लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि अंक मिलान का कार्य समय सारणी के अनुसार कराकर समीक्षा करें एवं त्रैमासिक अवधि समाप्ति पर प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराये जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.